न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
45 / 2016 प्रा.पत्र / 2016	29.04.2016	22.01.2026
जीसीएमएस नं0 111 / 2016		

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–खाद्य कारोबारकर्ता श्री दीपक चेलानी पुत्र श्री पुरूषोत्तम दास चेलानी जाति सिन्धी निवासी 24 / ए आदर्श नगर टोंक जिला टोंक मैसर्स किशोर वैरायटी स्टोर देवली रोड बडा कुआं टोंक जिला टोंक।
2–मैसर्स किशोर वैरायटी स्टोर देवली रोड बडा कुआं टोंक जिला टोंक।
3–श्री त्रिदेव सैन नॉमिनी मैसर्स नैचुरल कन्ज्यूमर केयर मार्केटिंग प्रा. लि. जी–807 सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया टोंक रोड जयपुर।
4– मैसर्स नैचुरल कन्ज्यूमर केयर मार्केटिंग प्रा. लि. जी–807 सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया टोंक रोड जयपुर।
5–श्री अतुल दत्तात्रेय भागीनवार प्रोपरायटर मैसर्स त्रिमूर्ति फूड्स ए–5, एम.आई.डी.सी. रेल्वे स्टेशन के पास औरंगाबाद।
6–मैसर्स त्रिमूर्ति फूड्स ए–5, एम.आई.डी.सी. रेल्वे स्टेशन के पास औरंगाबाद।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थीगण स्वयं उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 22/1/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.01.2016 को समय 04:00 पी.एम. पर मैसर्स किशोर वैरायटी स्टोर देवली रोड बडा कुआं टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर श्री दीपक चेलानी पुत्र श्री पुरूषोत्तम दास चेलानी अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री दीपक चेलानी पुत्र श्री पुरूषोत्तम दास चेलानी को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री दीपक चेलानी पुत्र श्री पुरूषोत्तम दास चेलानी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **गोपी मलाई गोल्ड मिठाई** के लगभग 20 पैकेट / जार पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 650 ग्राम पैक के रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री दीपक चेलानी पुत्र श्री पुरूषोत्तम दास चेलानी को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री दीपक चेलानी पुत्र श्री पुरूषोत्तम दास चेलानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **गोपी मलाई गोल्ड मिठाई** जिसके बैच नं0 जी351 एवं पैकिंग की दिनांक 12/2015 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है. 650 ग्राम पैक के 4 नग मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गोपी मलाई गोल्ड मिठाई** 650 ग्राम पैक के 4 नग मूल पैक में से एक-एक पैकेट वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारो नमूना भागों के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-1247 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-1247 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री दीपक चेलानी पुत्र श्री पुरूषोत्तम दास चेलानी ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स नैचुरल कन्ज्यूमर केयर मार्केटिंग प्रा. लि. जी-807 सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया टोंक रोड जयपुर का वारन्टी बिल पेश किया। आवेदक द्वारा मैसर्स नेचुरल कन्ज्यूमर केयर मार्केटिंग प्रा. लि.से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स त्रिमूर्ति फूड्स ए-5, एम.आई.डी.सी. रेल्वे स्टेशन के पास औरंगाबाद का खरीद बिल प्रस्तुत किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/16/993 दिनांक 01.03.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/12/एक्ट/2016/62 दिनांक 28.01.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **गोपी मलाई गोल्ड मिठाई मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **गोपी मलाई गोल्ड मिठाई** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **गोपी मलाई गोल्ड मिठाई** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 22/1/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज